न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–भीलवाड़ा) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री बाबू लाल, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 264/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2024/405

अनवान

रूपलाल पुत्र उछब लाल सोनी(स्वर्णकार) निवासी गांधीपुरी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

–प्रार्थी

बनाम

1– महावीर पुत्र देवीलाल खाती निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा
2– लक्ष्मीनारायण पुत्र नन्दा खाती निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा
3– भोजा पिता छीतर गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा
4– मिठूलाल पिता छीतर गूर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की पत्थरगढी करने बाबत)

तारीख रजू : **05-07-2024**

उपस्थित :–

1. श्री अक्षय राज रेबारी : अधिवक्ता प्रार्थी
2. विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 एकपक्षीय

::– निर्णय –::

दिनांक : **02-04-2025**

1. वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्व विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व **ग्राम शिवपुरा प0ह0 प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 230 रकबा 2.40 है0, 232 रकबा 0.56 है0 कुल किता 2 रकबा 2.96 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थी ने कई मर्तबा विपक्षीगण नं0 1 व 2 से निवदेन किया को वो अपनी अपनी पत्थरगढी करा ले लेकिन विपक्षीगण इंकार हो गये। विपक्षीगण द्वारा दिनांक 15.06.24 को धमकी दी गई की हम वर्णित आराजी में घुसपैठ करते रहेगें, यदि तुम्हे आपत्ति है तो अपनी जमीन की पत्थरगढी करवा लो।**
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामिली विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थी अधिकक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व **ग्राम शिवपुरा प0ह0 प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 230 रकबा 2.40 है0, 232 रकबा 0.56 है0 कुल किता 2 रकबा 2.96 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटेन व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया । जिससे स्पष्ट है कि राजस्व **ग्राम शिवपुरा प0ह0 प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा** के खेत की आराजी **खसरा नम्बर 230 रकबा 2.40 है0, 232 रकबा 0.56 है0 कुल किता 2 रकबा 2.96 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

में संलग्न विवादित भूमि की **जमाबंदी संवत् 2074 से 2077** का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी वादगस्त आराजी **खसरा नम्बर 230 रकबा 2.40 है0, 232 रकबा 0.56 है0 कुल किता 2 रकबा 2.96 है0** का अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वंतत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है।

5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :–

धारा 128 सीम विवाद– सबंधी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेगें।

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं संबंधी आवदेन–पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा में विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हो। चूंकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से संबंधित निर्विवाद मामलों में तहसीदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते है।

6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व **ग्राम शिवपुरा प0ह0 प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 2.40 है0, 232 रकबा 0.56 है0** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए प्रार्थी की आराजी का प्रार्थी के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए। वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिविर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **02-04-2025** को सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (राज.)

(बाबू लाल)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा